झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–115 वर्ष 2017

मिनी महतो .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. भारत संघ, दक्षिण पूर्व रेलवे, पुरूलिया (पश्चिम बंगाल) के वरिष्ठ मंडलीय वित्त प्रबंधक के माध्यम से

2. शाखा प्रबंधक (लिंक/नोडल शाखा), सामान्य प्रबंधन (पीएएफ), बिहार सर्कल, पटना

3. वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी, दक्षिण पूर्व रेलवे, पुरूलिया, पश्चिम बंगाल

4. वरिष्ठ मंडलीय लेखा अधिकारी, दक्षिण पूर्व रेलवे, रांची डिवीजन, हटिया, रांची

5. लेखा निदेशक (डाक), मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, बिहार सर्कल, पटना का कार्यालय

6. पोस्टमास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस, रांची

7. पोस्टमास्टर, छोटा मुरी, रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ0 एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री नेहरू महतो, अधिवक्ता

उत्तरदातागण के लिए :– श्री गौतम राकेश, अधिवक्ता

श्री शिव कुमार शर्मा, अधिवक्ता

09/20.01.2020 पक्षों को सुना।

2. ‘ याचिकाकर्त्ता ने इस न्यायालय से प्रार्थना किया है कि प्रतिवादियों को पेंशन के बकाया पर 10% दंडात्मक ब्याज के साथ विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।

3. याचिकाकर्त्ता के पति दिनांक 31.08.1988 को मेट के पद पर से दक्षिण पूर्व रेलवे, आद्रा मंडल से सेवानिवृत हुए और बाद में 04.09.2001 को उनकी मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्त्ता ने पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए प्रतिवादी–रेलवे के समक्ष एक आवेदन किया क्योंकि याचिकाकर्त्ता के पति बिहारी महतो की मृत्यु दिनांक 04.09.2001 को हो गई। पारिवारिक पेंशन को वर्ष 2014 में ही मंजूरी दी गई थी और पी0पी0ओ को छोटा मुरी के पोस्टमास्टर को भेजा गया था, जहां याचिकाकर्त्ता निवास कर रही हैं। याचिकाकर्त्ता के नाम यानी मिनी महतो और कुलो देवी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। याचिकाकर्त्ता द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है कि मिनी महतो और कुलो देवी एक ही व्यक्ति हैं। इसके बावजूद, प्रतिवादी–रेलवे ने याचिकाकर्त्ता की पहचान की वास्तविकता के बारे में विवाद उठाया।

4. यद्यपि वर्ष 2014 में ही कुटुम्ब पेंशन को मंजूर किया गया था, परन्तु उसे तुच्छ आधारों पर रोक दिया गया है। पोस्टमास्टर द्वारा की गई आपत्ति कानून की नजर में मान्य नहीं है। पोस्टमास्टर को पेंशन रोकने का अधिकार नहीं है क्योंकि इसको पहले ही सक्षम–अधिकारियों यानी प्रतिवादी–रेलवे द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

5. ऐसी परिस्थितियों में, संबंधित जिले यानी रांची जिले के उपायुक्त को मिनी महतो और कुलो देवी की पहचान के संबंध में विवाद को सत्यापित करने के लिए

निर्देशित किया जाता है। याचिकाकर्त्ता को उपायुक्त, रांची के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है, जो दो सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्त्ता के नामों की प्रामाणिकता के बारे में एक अंतिम रिपोर्ट बनायेंगे और यदि यह पाया जाता है कि मिनी महतो और कुल्लू देवी एक ही व्यक्ति हैं तो उसे पारिवारिक पेंशन का भुगतान दो सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि पोस्टमास्टर, छोटा मुरी की ओर से देरी हुई है तो संबंधित पोस्टमास्टर पर पूर्वोक्त अवधि के भीतर याचिकाकर्त्ता को 2500/– रू0 देने का जुर्माना लगाया जाएगा। याचिकाकर्त्ता देरी के लिए 10% दंड ब्याज का भी हकदार है।

6. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(डॉ0 एस0एन0 पाठक, न्याया0)